

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

ग्राम पंचायत, पोसालिया जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, पोसालिया, पंचायत समिति शिवगंज,
जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री तेजाराम मीणा, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया,
तहसील-शिवगंज, जिला- सिरौही

पंचायत निगरानी संख्या: 112/2017

“निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री कलीम अब्बल, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवड़ा, अप्रार्थी की ओर से

-: निर्णय :-


दिनांक 02 जुलाई, 2018


(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री तेजाराम, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ख) के अन्तर्गत क्षेत्रफल 1520 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 893 दिनांक 01.6.2002 (मिसल संख्या 100/2001-02) को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पोसालिया में आबादी क्षेत्र में अप्रार्थी के कब्जाशुदा मकान का पूर्व में अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, पोसालिया में पुराना मकान बताकर पट्टा हेतु आवेदन किया तथा उसके बाद ग्राम पंचायत, पोसालिया के तत्कालीन पदाधिकारियों द्वारा अप्रार्थी के नाम से पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के तत्कालीन पदाधिकारियों से मिलकर बिना कोई मौका निरीक्षण करवाये आवेदन अनुसार निर्मित मकान से ज्यादा रास्ते की भूमि का पट्टा बनवा लिया जो पूर्णतया गलत व अवैध है। अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 893 दिनांक 01.6.2002 के दक्षिण दिशा में सार्वजनिक गली है तथा इसी प्रकार पट्टे के पूर्व दिशा में भी आम रास्ता है। अप्रार्थी के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 893 दिनांक 01.6.2002 में मकान की भूमि का नाप उत्तर में

....पेज दो पर



अति. जिला कलेक्टर
सिरौही (राज.)



38 फीट, दक्षिण में 38 फीट, पूर्व में 40 फीट व पश्चिम में 40 फीट कुल क्षेत्रफल 1520 वर्गफीट अंकित है, जबकि मौके पर अप्रार्थी के मकान का वास्तविक नाप व निर्माण उत्तर में 33.2 फीट, दक्षिण में 33.2 फीट व पूर्व में 38.9 फीट व पश्चिम में 38.9 फीट कुल 1284.95 वर्गफीट है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत पोसालिया से अप्रार्थी के पुराने मकान के उत्तर व दक्षिण दिशा में 4 फीट 8 इंच तथा पूर्व व पश्चिम दिशा में 1 फीट 3 इंच सार्वजनिक रास्ते व गली की भूमि को मिलाकर उक्तानुसार क्षेत्रफल 1520 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी करवा लिया है, जो पूर्णतः अवैध है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ख) के तहत ग्राम पंचायत को केवल पुराने निर्मित मकान की भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, लेकिन ग्राम पंचायत, पोसालिया के तत्कालीन पदाधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किये बिना ही मौके पर निर्मित नाप से अधिक आम रास्ते की भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी करने का संकल्प/आदेश पारित कर अप्रार्थी को पट्टा जारी कर दिया जो विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने एवं पट्टा जारी करने का आदेश/संकल्प पारित करने में कानूनन भूल की गई है। प्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि सार्वजनिक रास्ते या गली की भूमि पर कानूनन कोई भी पट्टा या मालिकाना हक अधिकार किसी भी व्यक्ति को जारी नहीं किये जा सकते हैं जिससे प्रश्नगत पट्टा पूर्णतः विधि विरुद्ध होकर आरम्भतः शून्य है। अप्रार्थी प्रश्नगत पट्टे की आड में अप्रार्थी मकान से अधिक नाप की सार्वजनिक रास्ते व गली की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मौके पर अप्रार्थी के निर्मित मकान से अधिक भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि होने से उक्त अधिक भूमि ग्राम पंचायत में निहित है, इस कारण ग्राम पंचायत उक्त अधिक भूमि में हितबद्ध है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पोसालिया के आबादी क्षेत्र में अप्रार्थी का पुश्तैनी कब्जेशुदा भूखण्ड मय मकान आया हुआ है। अप्रार्थी ने अपने पुश्तैनी कब्जेशुदा मकान मय भूखण्ड का पट्टा बनाने के लिये ग्राम पंचायत में आवेदन किया। जिस पर विधिवत मिसल दायर की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157ख के तहत अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया है जिसके पट्टा संख्या 893 दिनांक 01.6.2002 व मिसल संख्या 100/20001-2002 है। अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में नियमानुसार पट्टा शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त किया है। अप्रार्थी के पट्टा संख्या 893 का नाप उत्तर व दक्षिण में 38 फीट व पूर्व व पश्चिम 40 फीट कुल क्षेत्रफल 1520 वर्गफीट है व जिसकी चतुर्दशी पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में हटाराम पुत्र डुंगाजी मीणा की भूमि व दरवाजा एक, उत्तर में प्रवाराम पुत्र वीराराम का मकान व दक्षिण दिशा में आम रास्ता है। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा मौके का निरीक्षण कर मौका का सही रूप से नाप जाख करके व विधिवत प्रक्रिया अपनाकर अप्रार्थी को पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी को अप्रार्थी के मकान की भूमि

.....पेज तीन पर

बति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)



का ही पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी नहीं किया गया है तथा न ही मौके पर अप्रार्थी का रास्ते की भूमि पर कोई निर्माण या कब्जा है। अप्रार्थी द्वारा मौके पर रास्ता या गली को अवरुद्ध नहीं किया गया है। अप्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि है कि ग्राम पंचायत, पोसालिया के सरपंच श्री राजेन्द्र कुमार माली अप्रार्थी व अप्रार्थी के परिवार से व्यक्तिगत रंजिश रखता है जिसने पूर्व में भी अप्रार्थी के पट्टे की हद में बनी चबूतरी को तोड़ने का प्रयास किया था व अप्रार्थी के घर आकर उसके पिता व औरतो के साथ झगडा फसाद किया था व जातिगत गालिया देकर अपमानित किया था। जिसका अप्रार्थी के पिता ने ग्राम पंचायत, पोसालिया के सरपंच श्री राजेन्द्र कुमार माली व अन्य के विरुद्ध पुलिस थाना, पालडी एम. में मुकदमा दर्ज करवाया था। उक्त रंजिश के कारण उसके बाद सरपंच श्री राजेन्द्र कुमार माली ने अप्रार्थी के पट्टा संख्या 893 पर अवैध निर्माण बता कर नोटिस क्रमांक 2016-17/411 दिनांक 22.3.2017 को इस आशय का जारी किया गया था कि अप्रार्थी द्वारा उसके आवासीय मकान में पट्टे से अधिक आम रास्ते की भूमि पर अवैध निर्माण किया है। उक्त नोटिस के विरुद्ध अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी तथा अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत पोसालिया के विरुद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शिवगंज के न्यायालय में धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यूसेन्स हटाने के लिये प्रार्थना पत्र भी दिनांक 06.10.2017 को प्रस्तुत किया है। इस उक्त रंजिश के कारण प्रार्थी ने मौके का मन मर्जी से नाप बताकर यह निगरानी मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत, पोसालिया के कोरम द्वारा अप्रार्थी के मकान का नाप जोख कब किया गया, इसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं है तथा ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को कोई सूचना दिये बगैर ही अप्रार्थी की अनुपस्थिति में मौका निरीक्षण कर अप्रार्थी के मकान का मौके की स्थिति के विपरित गलत रूप से नाप जोख बताकर यह निगरानी प्रस्तुत की है। अप्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा नियमानुसार व विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अप्रार्थी के पुश्तैनी कब्जेशुदा मकान की भूमि का अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या 893 दिनांक 01.6.2002 को जारी किया गया है व पट्टा जारी हुये करीब 17 वर्ष हो गये है। इतने वर्षों में ग्राम पंचायत, पोसालिया या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कभी कोई आपत्ति नहीं की गई है और 17 वर्ष के बाद ग्राम पंचायत, पोसालिया के वर्तमान सरपंच ने रंजिशवश मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर अतिशय विलम्ब से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अप्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे को स्वयं ग्राम पंचायत निरस्त करावाने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ग्राम पंचायत अपने आचरण व कृत्य से विधि में विबन्धित है और अब उसे पट्टा निरस्त करवाने हेतु निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी ओमप्राकश पुत्र श्री तेजाराम, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 केपेज चार पर

श्री. जिला कलेक्टर
शिवगंज (राज.)



नियम 157(1)(ख) के अन्तर्गत क्षेत्रफल पूर्व-पश्चिम 40 फीट व उत्तर-दक्षिण 38 फीट कुल क्षेत्रफल 1520 वर्गफीट भूमि का पंचायत संकल्प संख्या 1(90) दिनांक 20.11.2001 के अनुसरण में पट्टा संख्या 893 दिनांक 01.6.2002 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :-


- (i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-
- (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)
- (ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)
- (ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि "अप्रार्थी के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 893 दिनांक 01.6.2002 में मकान की भूमि का नाप उत्तर में 38 फीट, दक्षिण में 38 फीट, पूर्व में 40 फीट व पश्चिम में 40 फीट कुल क्षेत्रफल 1520 वर्गफीट अंकित है, जबकि मौके पर अप्रार्थी के मकान का वास्तविक नाप व निर्माण उत्तर में 33.2 फीट, दक्षिण में 33.2 फीट व पूर्व में 38.9 फीट व पश्चिम में 38.9 फीट कुल 1284.95 वर्गफीट है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत पोसालिया से अप्रार्थी के पुराने मकान के उत्तर व दक्षिण दिशा में 4 फीट 8 इंच तथा पूर्व व पश्चिम दिशा में 1 फीट 3 इंच सार्वजनिक रास्ते व गली की भूमि को मिलाकर उक्तानुसार क्षेत्रफल 1520 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी करवा लिया है, जो पूर्णतः अवैध है।" प्रार्थी ने अपने उक्त कथन के समर्थन में ग्राम पंचायत, पोसालिया की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.2.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.2.2017 में अप्रार्थी के मकान का नाप, क्षेत्रफल व चतुर्दशी अंकित की हुई है, लेकिन मौके पर रास्ता कितने वर्गफीट चौड़ा है एवं अप्रार्थी का मकान व प्रश्नगत पट्टेशुदा भूमि मौके के अनुसार बिल्डिंग लाइन में है अथवा बिल्डिंग लाइन से बाहर है? के संबंध में उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट में कोई उल्लेख किया हुआ नहीं है तथा न ही उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अडौस-पडौस के मकानों/भूखण्डों व रास्ते की

....पेज पांच पर

बति. जिला कलेक्टर
निराही (राज.)



भूमि के मौके की स्थिति का नजरी नक्शा दर्शाया हुआ है। ऐसी स्थिति में, उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता है कि उक्त अधिक भूमि रास्ते की भूमि हो।

यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के पुश्तैनी आवासीय मकान का पट्टा संख्या 892 दिनांक 01.6.2002 को जारी किया गया है, लेकिन इतने वर्षों तक ग्राम पंचायत, पोसालिया या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत पट्टे के संबंध में कभी कोई आपत्ति नहीं की गई और पट्टा जारी होने के 14 वर्षों बाद ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा प्रश्नगत पट्टे को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी के निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित कथन माने जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही